संख्या–I/328940/ VI-4/2025–61(03)2023 टी0सी0 (E-63016)

प्रेषक,

अमित कुमार सिन्हा,
विशेष प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग **देहरादून दिनांक : 09 सितम्बर, 2025**

विषय :– प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवकों को वर्षभर में 12 दिनों का Paid Rest/**अवकाश प्रदान किये जाने के सम्बंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत प्रान्तीय रक्षक दल के स्वंयसेवकों की कार्यप्रणाली को देखते हुए वर्षभर में 12 दिनों के Paid Rest/आकस्मिक अवकाश की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवकाश स्वीकृति हेतु निम्नवत् मानक संचालन प्रक्रिया (S.O.P) निर्धारित की जाती है :–

(1) प्रान्तीय रक्षक एवं विकास दल के ऐसे स्वयंसेवक जिनके द्वारा कम से कम 365 दिन की ड्यूटी कर ली गई हो तथा जो कार्ययोजित हों, उन्हें प्रत्येक 30 दिनों की ड्यूटी पर 01 दिन का आकस्मिक अवकाश मानदेय सहित देय होगा।

(2) आकस्मिक अवकाश ड्यूटी/तैनाती स्थल से सम्बन्धित कार्यालय/संस्थान/निगम/संस्था आदि के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

(3) माह जनवरी से माह जून तक कुल 06 माह की अवधि के सापेक्ष अधिकतम 06 आकस्मिक अवकाश अनुमन्य होंगे। यदि उक्त 06 माह की अवधि के पश्चात आकस्मिक अवकाश शेष हों, तो उक्त अवकाश अग्रेनीत नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार स्वयंसेवकों को माह जुलाई से माह दिसम्बर तक 06 आकस्मिक अवकाश अनुमन्य होंगे।

(4) ड्यूटीरत पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों को एक बार में अधिकतम 03 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होने की स्थिति में प्रत्येक माह में आनुपातिक रूप से दर्ज उपस्थिति तथा प्रत्येक माह हेतु 01 आकस्मिक अवकाश को संज्ञान में लेते हुए उक्त माह हेतु वेतन आहरण किया जायेगा। उदाहरण–यदि कोई X कार्मिक वर्ष के प्रथम माह जनवरी में अधिकतम 03 आकस्मिक अवकाश एक साथ प्राप्त करता है, तो सम्बन्धित कार्मिक के जनवरी माह (31दिन) में कुल 28 दिनों की उपस्थिति पर 29 दिनों (प्रत्येक माह में प्राप्त 01 आकस्मिक अवकाश के जोडे जाने पर) का ही वेतन आहरित किया जायेगा। यह प्रक्रिया प्रत्येक छमाही के लिये अलग–अलग होगी और आगामी माहों में भी यथावत् बनी रहेगी और जब तक अंतिम रूप से सम्बन्धित कार्मिक के वेतन का निस्तारण न हो जाये, यह सीमा प्रथम छमाही के अंतिम माह जून व द्वितीय छमाई के अंतिम माह दिसम्बर तक बनी रहेगी।

(5) यदि किसी माह स्वयंसेवक उस माह की पूर्ण अवधि/मानव दिवस में अनुपस्थित/ड्यूटी ब्रेक/रोटेशनल ब्रेक/चिकित्सा अवकाश अथवा किसी अन्य कारणों से ड्यूटीरत न हो, तो उसे आकस्मिक अवकाश अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्राप्त सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
"AMIT KUMAR SINHA "
Date: 09-09-2025
16:09:13

(अमित कुमार सिन्हा)
विशेष प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या I/328940/VI-4/2025–61(03)2023 टी0सी0 (E-63016) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वित्त अनुभाग–3 एवं 7, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, युवा कल्याण उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6. गार्ड फाईल।

Digitally signed by
GARIMA RAUNKALI
Date: 09-09-2025
16:17:31

आज्ञा से

(गरिमा रौंकली)
अपर सचिव